उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–5
संख्या–1033 / पॉच–5–2020
लखनऊ दिनॉकः 05 मई, 2020

कार्यालय–ज्ञाप

भारत सरकार के पत्र संख्या–एन0एच0एस0आर0सी0 / 20–21 / ई0डी0सेक० / कोविड–19 / 05, दिनांक 28.03.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कोविड–19 के संक्रमण से प्रभावित रोगियों को बेहतर उपचार की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एपिडेमिक एक्ट–1897 (अधिनियम संख्याः 03, वर्ष 1897) की धारा–2 के अधीन निर्गत उत्तर प्रदेश एपिडेमिक डिजीज कोविड–19 नियमावली–2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदेश के निम्नलिखित निजी चिकित्सालयों को एतदद्वारा डेडिकेटेड **"कोविड–19"** एल–2 चिकित्सालय के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र0सं0	चिकित्सालय एवं जनपद का नाम	शैय्या की संख्या	वेंटीलेटर की सं0
1.	राधे श्याम सत्यप्रकाश हास्पिटल ट्रामा सेन्टर, अमेठी।	100	2
2.	डा0 आर0डी0 मेमोरियल हास्पिटल, चन्दौली।	55	1
3.	हिन्डालको हास्पिटल, रेनूकूट, सोनभद्र।	150	4

2– उक्त निजी चिकित्सालय संबंधित जिलाधिकारी से आदेश प्राप्त होने के 05 दिवस के अन्दर चिकित्सालय को कोविड–19 संक्रमित रोगियों के उपचार हेतु शासन द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों (भर्ती रोगियों को डिस्चार्ज करने, अन्य चिकित्सालयों में स्थानान्तरित करने, चिकित्सालय परिसर को सैनेटाइज करने एवं कोविड–19 से संक्रमित रोगियों के उपचार से सम्बन्धित आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता) के अनुसार तैयारियां पूर्ण कर लेंगे। कोविड–19 से संक्रमित रोगियों के उपचार तथा उपचार के उपरान्त चिकित्सालयों को प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।

5.5.20

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1033 (1) / पाँच–5–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मण्डलायुक्त, अयोध्या, वाराणसी, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश।
2. जिलाधिकारी, अमेठी, चंदौली, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश।

suneel sir u.0 com-3

3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, साचीज़, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5. निदेशक, संचारी रोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. संबंधित अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी, अमेठी, चंदौली, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।

suneel sir u.0 com-3